तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 162/2022 अनवान स्टेट बनाम मदनलाल आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
03.04.2025		

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये है। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई।

प्रतिवादीगण/ प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की वादगत कृषि भूमि खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी कृषि कार्य करता है। कृषि कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नही करता है। प्रार्थी कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तथा राजनैतिक पृष्ठ भूमि का व्यक्ति है। प्रार्थी ज्यादातर वादगत कृषि भूमि पर अपनी बैठक बना रखी है जहा श्रीडूंगरगढ के काफी लोग मदद के लिए प्रार्थी के पास आते रहते है। इसी भ्रम में हल्का पटवारी द्वारा बाला–बाला बिना तथ्यों की जांच किये रिपोर्ट तैयार की व श्रीमान तहसीलदार महोदय वादी ने बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये श्रीमान के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि दावा प्रस्तुत करनें से पूर्व तहसीलदार वादी द्वारा खातेदार को नोटिस देकर उसका पक्ष सुना जाना अनिवार्य है एवं वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त 2016(2) आरआरटी 1208 पृष्ठ संख्या 1208 से 1212 पेश की गई।

वादी/ अप्रार्थी की ओर पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण अंतर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया है, जो प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की तहत वाद पत्र को नामंजूर किये जाने के बाबत् प्रावधान दिये गये है, जो प्रार्थनापत्र के संबंध में पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के तहत प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण प्रकरण में साक्ष्य उपरान्त किया जाना है, इस स्तर पर साक्ष्य के बिना तथ्यों का परीक्षण किया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय एवं संधारणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। जो निम्न प्रकार से हैः–

आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना–वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगाः–

(क) जहां वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन का ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायलय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय [illegible] किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से [illegible] किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(परन्तु मूल्याकंन की शुद्धि के लिए [illegible] स्टाम्प– पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय त[illegible]क नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायलय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पदेन ... श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, गणनिति मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा)

(च) जहां इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है।

(छ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादी द्वारा वाद केवल मात्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जबकि पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया गया है। जबकि उक्त वाद में धारा 175 के तथ्य वादी द्वारा अपने वाद में प्रकट नहीं किये गये ना ही इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत है। वाद प्रस्तुत करने से पूर्व तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को प्रतिवादी को पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार प्रकरण में 90 क की कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी करने के उपरान्त पूर्ण सुनवाई करने के बाद प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जाना था। वाद में अंकित खसरान भूमि पैराफेरी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। परन्तु वादी की ओर से इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही का उल्लेख अपने वाद में नहीं किया है। पैरोकारराज ने वाद में बिना तथ्यों का परीक्षण किये उक्त जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:54 IST
Reason: SelfAttested